न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/643
मिसलनम्बर– 93 / 2025

राजेश कुमारी पत्नी देवी सिंह उम्र 63 साल सीनियर सिटीजन निवासी मकान नं0 467, सोफिया स्कूल के पास, अनन्तपुरा कोटा, हाल ग्राम पनवाड तह0 देवली जिला टोंक राज0 9257881052

– प्रार्थीया

बनाम

1.श्रीमती राजकंवर पत्नी स्व0 मोहन सिंह पुत्री नन्द सिंह निवासी 467, सोफिया स्कूल के पास, अनन्तपुरा कोटा
2.नन्दसिंह पुत्र नामालूम
3.तंवर सिंह पुत्र नन्द सिंह
4.रघुवीर पुत्र नन्द सिंह
5.लखन सिंह पुत्र नन्द सिंह
6.राजकंवर के दोनों जीजा जिनके नाम मालूम नही। जिन्हे शक्ल से जानते है।
निवासीगण– खीमच, तह0 रामगंजण्डी जिला कोटा

– प्रतिपक्षीगण

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 23/3/2026

उपस्थिति:–
1.श्री अंसार इन्दौरी प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री तंवर सिह अप्रार्थी कम 1, 3, 4, 5, 6 अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया एक अनपढ़ 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला है तथा विगत लगभग 40–50 वर्षों से अनन्तपुरा कोटा में शांति पूर्ण तरीके से निवासरत है। प्रार्थीया के दो संतानें हैं जिनमें एक पुत्र सोम सिंह तथा एक पुत्री हेमकंवर है पुत्री का विवाह हो चुका है जो वर्तमान में अपने ससुराल में रह रही है तथा प्रार्थीया के पुत्र सोम सिंह का विवाह सन 2014 में

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

खीमच निवासी नंद सिंह कि पुत्री राज कंवर से हुआ था जिसमें सोम सिंह के नुत्फे से राजकंवर ने एक पुत्र नकुल सिंह उम्र 10 वर्ष को जन्म दिया जो कि अभी वर्तमान में प्रार्थीया के मकान वाके सैफिया स्कूल के पास अन्नतपुरा कोटा में निवासरत है।

दिनांक 24 अप्रैल 2025 को प्रार्थीया के इकलौते पुत्र सोम सिंह का बीमारी के कारण निधन हो गया प्रार्थीया के पुत्र के निधन के बाद प्रार्थीया का ब्याई नंद सिंह जो कि अप्रार्थी क्रम 02 है और उसकी पत्नी प्रार्थीया के पुत्र के निधन के बाद 12 दिन तक प्रार्थीया के मकान पर ही रहे और अप्रार्थी क्रम–01 को भड़काना शुरू कर दिया और कहा कि अब तो तेरा आदमी भी मर चुका है तू मकान पर कब्जा कर और इन दोनों डोकरा डोकरियो को वद्धा आश्रम में जाने के लिए राजी कर नहीं माने तो जबरदस्ती निकाल दें और जितना जल्दी हो सके मकान को बेच कर पैसा अपने कब्जे में लेकर खीमच रहना। इस पर प्रार्थीया और उसके पति द्वारा इसका विरोध किया गया तो अप्रार्थी क्रम 1 और 2 अक्रामक हो गए और अपने तीनों बेटे और दोनों जवाईयो को जो कि अप्रार्थी क्रम 3 लगायत 6 है को बुलाकर परिवादीया और उसके पति को डराया धमकाया गया पोश पोश गालियां दी। अप्रार्थीगणों का उक्त रवैया आज दिनांक तक जारी है।

जब से प्रार्थीया के पुत्र का निधन हुआ है तब से अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 6 प्रार्थीया और उसके पति को आए दिन प्रताड़ित करते हैं प्रार्थीया ने अप्रार्थी क्रम 01 कि शादी में उपहार स्वरुप दिए गये आभूषण रखड़ी सोने की आधा तोला, हार सोने का वजन दो तोला, मंगलसूत्र सोने का वजन चवन्नी भर, अंगुठी सोने की चवन्नी भर, पायजेब चांदी की वजन 100 ग्राम को भी छल पुर्वक अपने पिता अप्रार्थी क्रम 2 को दे दिया है।

दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को अप्रार्थी क्रम 01 ने प्रार्थीया के बुजुर्ग बीमार पति को बलात्कार का झूठा केस लगवाने तथा कपड़े फाड़ कर थाने में जाने की धमकियां देकर धक्के मार कर भगा दिया जो कि अप्रार्थी के क्रूरता पूर्ण रवैये से परेशान होकर वर्तमान में अपनी पुत्री के यहां ग्राम पनवाड़ देवली जिला अजमेर में रह रहे हैं।

दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को समय सुबह करीब 10 बजे अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थीया को अकेला देखकर बाल पकड़कर मारपीट की तथा गालों पर अनगिनत चाटें भी दिए तथा प्रार्थीया को जमीन पर पटक दिया और कहा कि यह पूरा मकान मेरे नाम करवा दे और यहां से निकल जा इस में तेरी भलाई है तेरा आदमी यहां से चला गया सीधे रास्ते से तू भी चली जा इसमें ही तुम सब की भलाई है वरना जो भी मोहल्ले वाले या तेरे रिश्तेदार बीच में बोलेंगे तो

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कपड़े फाड़ कर याने चली जाऊंगी और झूठे केस में फंसा दूंगी उक्त घटना की जानकारी प्रार्थीया ने जब अपने भाई श्याम सिंह को दी इस पर श्याम सिंह और उसकी पत्नी जैसे ही प्रार्थीया के घर आए तो अप्रार्थी क्रम 1 ने उन्हें पोश पोश भद्दी गालियां देकर धक्के मार कर भगा दिया और कहा की दौबारा यहां आएं तो ऐसा केस लगवाऊंगी की जिंदगी भर याद करोगे और फिर जब प्रार्थीया ने अप्रार्थी क्रम 1 से कहा कि वह उसके पति को बुलाकर रिपोर्ट करवाएगी और कानूनी कार्यवाही करेगी तो इस पर अप्रार्थी क्रम 1 एक दम से अक्रामक हो गई और फोन करके अपने पिता अप्रार्थी क्रम 2 को बुला लिया जिसने भी आते ही प्रार्थीया के साथ घर में घुसकर मारपीट की और गंदी गंदी गालियां दी और प्रार्थीया के कमरे में अंदर घुस कर प्रार्थीया को धक्के मार कर अपने घर से बाहर निकाल दिया प्रार्थीया को अंदेशा है कि अप्रार्थी क्रम 1 व 02 प्रार्थीया के मकान से संबंधित असल दस्तावेज और आई० डी० वगेरह ताला तोड़कर निकाल ले गये है क्योंकि प्रार्थीया के पति को पूर्व में इन लोगो द्वारा निकाला जा चुका है और प्रार्थीया को भी धक्के मार कर मारपीट कर घसीट कर बाहर निकाल दिया गया है।

अप्रार्थीगण द्वारा बुजुर्ग प्रार्थीया व उसके बुजुर्ग बीमार पति को शारिरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रार्थीया को यह भी अंदेशा है कि उपरोक्त वर्णित अप्रार्थीगण मिलकर प्रार्थीया और उसके पति की जान व माल को हानि पहुंचा सकते है अगर भविष्य में प्रार्थीया और उसके पति के किसी भी प्रकार कि कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी उपरोक्त वर्णित सभी अप्रार्थीगणों कि होगी।

अप्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे क्रूरतापूर्ण व्यवहार व लड़ाई झगड़े से प्रार्थीया काफी डिप्रेशन में आ गई है और अप्रार्थीगण जान बूझकर प्रार्थीया को मानसिक व शारिरिक रूप से प्रताड़ित करते अप्रार्थीगण जान बूझकर घर मे झगड़े कां माहौल बनाते है जिससे कि परेशान होकर उक्त मकान अप्रार्थी क्रम–1 के नाम कर दें जिसे कि अप्रार्थीगण पूरे मकान पर कब्जा करवा सकें। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया को धमकाते है कि यदि प्रार्थीया ने मकान नाम नही किया तो प्रार्थीया और उसके बुर्जुग पति को खाने पीने को नहीं देंगे और प्रार्थीया को घर में बन्द कर देंगे जिससे प्रार्थीया काफी प्रताड़ित हो चुकी है।

अप्रार्थीगण आए दिन उक्त मकान को बेचने की नियत से खरीददार लेकर आते है और मकान को बेचने का कहते है और अप्रार्थीगण आए दिन प्रार्थीया के साथ लड़ाई झगड़ा करते है जिससे प्रार्थीया को काफी मानसिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया व उसके पति के स्वामित्व व आधिपत्य के मकान को हड़पने व खुर्द बुर्द करने की गरज से

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थीया को किसी भी प्रकार की क्षति कारित कर सकते है तथा प्रार्थीया व उसका बुर्जुग पति वरिष्ठ नागरिक है व जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे है।

प्रार्थीया व उसका बुर्जुग पति वरिष्ठ नागरिक है तथा प्रार्थीया व उसका बुर्जुग पति द्वारा अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति से उक्त मकान बनाया गया है, जिसमें प्रार्थीया व उसका बुर्जुग पति सहित निवास कर रहे है, प्रार्थी व उसके पति का अप्रार्थी कम–01 के साथ रहना दूभर हो गया है क्योंकि अप्रार्थीगण, प्रार्थीया को बहुत परेशान करते है वह प्रार्थीया के साथ आये दिन मकान नाम करने की बात को लेकर लड़ाई–झगड़ा, गाली–गलौज व मारपीट करते है। जिससे प्रार्थीया व उसका बुर्जुग पति मानसिक रूप से काफी परेशान रहते है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया व उसका बुर्जुग पति के साथ कोई भी अप्रिय घटना–कारित कर सकते है। परिवाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से एवं प्रार्थीया व उसका बुर्जुग पति के सीनियर सिटीजन होने की वजह से माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि परिवाद स्वीकार कर अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीया व उसका बुर्जुग पति के उक्त स्वामित्व वाले मकान को खाली कर प्रार्थीया व उसके पति को कब्जा संभलावें तथा अप्रार्थी कम–01 द्वारा उक्त मकान खाली ना करने की स्थिति में पुलिस इमदाद की मदद से उक्त मकान खाली करवाया जावे तथा अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि वह उक्त मकान में प्रार्थीया व उसका बुर्जुग पति की अनुमति के बिना प्रवेश ना करें और प्रार्थीया व उसका बुर्जुग पति के मकान को हड़पने व बेचने का प्रयास ना करें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थीया व उसका बुर्जुग पति से किसी भी प्रकार की गाली गलोज, लड़ाई झगड़ा व मारपीट नहीं करे तथा प्रार्थीया व उसका बुर्जुग पति को शारीरिक व मानसिक व आर्थिक रूप से तंग नही करने व 10,000/– रूपये मासिक भरण पोषण हेतु अप्रार्थीगण से दिलवाए जाने के लिये आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। **अप्रार्थी क्रम 1, 3, 4, 5, व 6 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया है कि** प्रतिपक्षी संख्या 1 विधवा एवं 8 वीं पास महिला है जिसकी आयु 36 वर्ष है जिसके एक पुत्र नकुल सिंह आयु 11 वर्ष है प्रतिपक्षी संख्या 1 के पति की दिनांक 02.04.2025 को बीमारी से मृत्यु हो चुकी है अब प्रतिपक्षी संख्या 1 व उसके पुत्र नकुल सिंह को उनके पति के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

मकान से निकाल दिया गया है कहा कि तेरा पति तो मर गया तू भी यहा से निकल जा। वर्तमान में प्रार्थीया अपने पिता के मकान में निवास कर रही है जिसका भरण पोषण उसके माता–पिता द्वारा ही किया जा रहा है। प्रतिपक्षी संख्या 1 के पास आय का कोई जरिया नहीं है। प्रतिपक्षी संख्या 1 व उसका पुत्र दर दर की ठोकरे खा रहे है मेहनत मजदूरी करके स्वयं व पुत्र का पेट पालन कर रही है पति की मृत्यु के बाद आजीविका का साधन भी समाप्त हो चुका है बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चे की पढाई लिखाई भी बन्द हो चुकी है क्योंकि प्रतिपक्षी संख्या 1 के पास बच्चे को पढाई लिखाई के लिये कोई पैसे नहीं है।

प्रतिपक्षी संख्या 3 तंवर सिंह, नन्द सिंह जी का पुत्र है जो अपने स्वयं के गांव खीमच में निवास करता है मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चो का पेट पालन करता है। प्रतिपक्षी संख्या 4 रघुवीर भी नन्दसिंह का पुत्र है जो झालरापाटन मे परिवार सहित 15 वर्षों से निवास कर रहा है एवं प्राईवेट नौकरी करके अपने परिवार का पेट पालन कर रहा है जिसको स्वयं के गांव खीमच आये हुये 15 वर्ष हो चुके हैं।

प्रतिपक्षी संख्या 5 लखन सिंह भी नन्द सिंह का पुत्र है जो स्वयं के ग्राम खींमच में पैट्रोल पम्प पर नौकरी करता है एवं प्रतिपक्षी संख्या 6 राजकंवर के दोनो जीजा जिनके नाम भी प्रार्थीया को पता नहीं है और ना तो वह उनको शक्ल से जानती है ना ही पहचानती है इसके बावजूद प्रार्थीया ने दोनो जीजा को पक्षकार बना दिया है जिनमें एक भवानीमण्डी में होमगार्ड के पद पर नौकरी करता है और वही परिवार सहित रहता है तथा छोटा जीजा दोस्तपुरा कोटा में परिवार सहित रहता है दोनों जीजाओ को तंग परेशान करने के लिये पक्षकार बनाया है जिनका प्रार्थीया को नाम तक पता नहीं है जिनके नोटिसेज प्रार्थीया ने उनके वास्तविक पते पर न भिजवाकर खीमच भिजवाकर औपचारिकता पूर्ण करने का प्रयास किया है।

प्रार्थीयां द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 को शादी में उपहार स्वरूप जो भी सामान दिये थे वह प्रतिपक्षी संख्या 1 को पुत्र सहित घर से बेदखल करते समय वापस ले लिये गये। प्रार्थीया का पति जयपुर में ड्राईवर के रूप में दो वर्षों से वही रहकर उक्त कार्य कर रहा है जो स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने का कार्य करता है। प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रार्थीया को कोई धमकी नहीं दी, कोई मारपीट नहीं की गई ना ही घर भगाया गया प्रार्थीया स्वयं उक्त मकान को बेचने पर आमादा है और वह स्वयं खरीददारो को लेकर आती है और मकान दिखाती रहती है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थीया को आदेशित किया जावे कि वह प्रतिपक्षी संख्या 1 को उसके पति के मकान से जबरन बेदखल करने का प्रयास नहीं करे एवं पुत्र सहित प्रतिपक्षी संख्या 1 को उसके पति के मकान में रहने देवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

प्रार्थीया की ओर से अप्रार्थी नं0 2 का नाम डिलीट करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी क्रम 2 का नाम डिलीट किया गया।

प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्तागण द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।प्रार्थीया की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज अध्यापन प्रमाण पत्र, छात्र डाटाबेस, प्रतिलिपि मकान खरीद दस्तावेज, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा शहर को दिये गये परिवाद पत्र की छाया प्रति दिनांक 24.10.2025 एवं प्रार्थीया के मकान के लाईट एवं पानी के बिल की प्रतियॉ पेश की।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी क्रम 1 ने प्रार्थीया को अकेला देखकर बाल पकड़कर मारपीट की तथा गालों पर अनगिनत चाटें भी दिए तथा प्रार्थीया को जमीन पर पटक दिया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ घर में घुसकर मारपीट की और गंदी गंदी गालियां दी और प्रार्थीया के कमरे में अंदर घुस कर प्रार्थीया को धक्के मार कर अपने घर से बाहर निकाल दिया। अप्रार्थीगण द्वारा बुजुर्ग प्रार्थीया व उसके बुजुर्ग बीमार पति को शारिरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके विपरीत अप्रार्थीया क्रम 1 द्वारा अपने जवाब मे कथन किया है कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी नं0 1 एवं उसके पुत्र मकान से बाहर निकाल दिया गया है। अप्रार्थीया अपने पिता के मकान में निवास कर रही है जिसका भरण पोषण उसके माता–पिता द्वारा ही किया जा रहा है। प्रतिपक्षी संख्या 1 के पास आय का कोई जरिया नहीं है। प्रतिपक्षी संख्या 1 व उसका पुत्र दर दर की ठोकरे खा रहे है मेहनत मजदूरी करके स्वयं व पुत्र का पेट पालन कर रही है पति की मृत्यु के बाद आजीविका का साधन भी समाप्त हो चुका है बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चे की पढाई लिखाई भी बन्द हो चुकी है। परन्तु अप्रार्थीया क्रम 1 द्वारा घर से बाहर निकाले जोन का जो कथन किया है, वह माने जाने योग्य नही है क्योंकि अप्रार्थीया की ओर से अपने उक्त कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। जबकि प्रार्थीया की ओर से अपने कथनों के समर्थन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

FORM No. III
फर्द अहकाम

APP-A
Crim-I

कोटा शहर को दिये गये परिवाद पत्र की छाया प्रति दिनांक 24.10.2025 पेश की है। जिस कारण प्रार्थीया द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है।

अप्रार्थीया क्रम 1 द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया है कि वर्तमान में वह अपने पिता के मकान में निवास कर रही है तथा उसका भरण पोषण उसके माता पिता द्वारा ही किया जा रहा हैं साथ ही अप्रार्थीया द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी बंद हो चुकी है क्योंकि उसके पास बच्चे की पढाई लिखाई हेतु पैसे नही हैं लेकिन प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीया का पुत्र नकुल सिंह सत्र 2025–26 में अनन्तपुरा कोटा स्थित सेफिया चिल्ड्रन सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल का कक्षा 4 का नियमित विघार्थी था। उक्त दस्तावेज यह प्रमाणित करते है कि अप्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए है, अप्रार्थीया द्वारा अपने प्रतिउत्तर में गलत तथ्य को आधार बनाना प्रार्थीया के कथनों को अखण्डनीय बना देता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीया एक ओर तो अपने प्रतिउत्तर में अंकित कर रही है कि वह अपने पिता के पास निवास कर रही है वही दूसरी ओर वह यह प्रार्थना कर रही है कि उसे पति के मकान से जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है तथा उसे अपने पति के मकान में रहने दिया जावे। अप्रार्थीया के कथनों में यह विरोधाभास पुनः प्रार्थीया के कथनों को अखण्डनीय बनाता है। जिस कारण से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को स्वीकार कर अप्रार्थीया क्रम 1 को आदेशित किया जाता है कि वे अन्दर 15 योम प्रार्थीया के स्वामित्व वाले मकान नं0 467, सोफिया स्कूल के पास, अनन्तपुरा कोटा को खाली कर देवें। उक्त आदेश की पालना नही करने की स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश की पालना हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा दौरानें बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभग ना हो इसलिये थानाधिकारी अनन्तपुरा कोटा को आदेशित किया जाता हैं कि मय जाप्ता मौंके पर उपस्थित रहें।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 23/3/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा